संख्या 196 /XXIV-A-2/25-18/2023 (41758)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 07 मई, 2025

विषयः प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–प्रा0शि0–दो(2)/564(II)-2022/2594/2023-24, दिनांक 09 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कम में राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र–छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूल वातावरण के अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) को निम्न प्रतिबंधो/शर्तों के अधीन स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विद्यालय चयन के निम्न मानदण्ड अपनाये जायेंगे :–

1. चिन्हित विद्यालय की 05 किमी की परिधि में न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को समाहित किया जायेगा।
3. विद्यालय में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के माध्यम से तकनीकी का प्रयोग कर शिक्षण कार्य किये जाने हेतु विद्युत संयोजन उपलब्ध हो।
4. विद्यालय के निकट अथवा उसके परिसर में सम्भव आंगनबाडी केन्द्र संचालित होता हो।
5. विद्यालय हेतु पर्याप्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध हो अथवा कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
6. चयनित विद्यालय में भविष्य में आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
7. विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत विद्यालय अधिक से अधिक सेवित क्षेत्र को लाभान्वित करता हो।
8. विद्यालय में पेयजल, चाहरदीवारी एवं शौचालय आदि की सुविधायें उपलब्ध हों।
9. उत्कृष्ट विद्यालय के निकट के विद्यालय में पंजीकृत CWSN (Children with Special Needs) छात्र को उत्कृष्ट विद्यालय में आने–जाने में कठिनाई को चिन्हित किया जायेगा और तद्नुसार CWSN (Children with Special Needs) छात्र की समस्या का निदान किया जायेगा।

3– उत्कृष्ट विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु प्रस्तावित कार्य निम्नवत् है :–

1. स्थापित किये जाने वाले उत्कृष्ट विद्यालय में प्रति विद्यालय में कम से कम 04 शिक्षक अथवा आर0टी0ई0 मानकानुसार शिक्षक, जो भी अधिक हो, तैनात किये जायेंगे।
2. कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे।

File No. BES2-8/115/57/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 41758)
Generated from eOffice by PINKI, RO-PINKI, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 07/05/2025 11:19 AM

Scanned with OKEN Scanner

3. स्मार्ट क्लास निर्मित किये जायेंगे।
4. पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी।
5. खेल मैदान विकसित कराया जायेगा।
6. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण।
7. सुविधानुसार बालवाटिका विकसित की जायेगी।
8. उत्कृष्ट विद्यालय के सेवित क्षेत्र से इतर अन्य क्षेत्र के विद्यालयों से आने वाले बच्चों हेतु ट्रान्सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4– उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु जनपद द्वारा प्रस्तावित विद्यालयों की जनपदवार संख्यात्मक विवरण संलग्न है।

5– उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षण अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने हेतु उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु चिन्हित किये गये विद्यालयों में निम्नलिखित विवरणानुसार कार्य कराये जाने पर होने वाले व्ययभार का सम्भावित विवरण निम्नवत् है :–

व्ययभार का विवरण	दर	उत्कृष्ट विद्यालय		
		प्राथमिक 603	उच्च प्राथमिक 76	योग 679
दो अतिरिक्त कक्षा कक्षा	0.18 (प्रतिकक्ष रु० 9 लाख)	108.54	13.68	122.22
शौचालय ब्लाक	0.0395	23.82	3.00	26.82
दो कम्प्यूटर	0.01	6.03	0.76	6.79
पुस्तकालय विकास	0.005	3.02	0.38	3.40
स्मार्ट क्लास	0.012	7.24	0.91	8.15
	Total	148.64	18.73	167.37

6– उत्कृष्ट विद्यालय में अन्य विद्यालय से आने वाले इच्छुक बच्चों के ट्रान्सपोर्ट पर होने वाले व्ययभार का अनुमानित व्यय विवरण निम्नानुसार है:–

1. उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु चिन्हित विद्यालय = 679 (603 रा०प्रा०वि० एवं 76 रा०उ०प्रा०वि०)।
2. निकटवर्ती विद्यालयों की संख्या जिनके छात्र लाभान्वित हो सकते हैं = 1090 (993 रा०प्रा०वि० एवं 97 रा०उ०प्रा०वि०)।
3. निकटवर्ती विद्यालयों में पंजीकृत बच्चों की संख्या = 13691 (PS- 12114, UPS- 1577)

7– छात्र के ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट हेतु छात्र की विद्यालय में उपस्थिति से जोड़ते हुए प्रति बच्चा प्रति दिवस ₹100/– की दर से धनराशि दिये जाने पर होने वाले व्ययभार का विवरण :–

बच्चों की संख्या– 13691 विद्यालय कार्य दिवसों की संख्या– 240 प्रस्ताव दर– ₹ 100/–	13691×240×100 = 32,85,84,000

8– प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत उत्कृष्ट विद्यालय स्थापना में चयनित उत्कृष्ट विद्यालय के सेवित ग्राम से इतर अन्य सेवित ग्राम से आने वाले छात्र–छात्राओं हेतु आवागमन की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा Transportation में आने

File No. BES2-8/115/57/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 41758)
Generated from eOffice by PINKI, RO-PINKI, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 07/05/2025 11:19 AM

Scanned with OKEN Scanner

वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न तालिकानुसार एक समिति गठित की जायेगी:–

1.	जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी सम्बन्धित जनपद	उपाध्यक्ष
3.	उप जिलाधिकारी सम्बन्धित तहसील	सदस्य
4.	मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद	सदस्य सचिव
5.	आर०टी०ओ० / ए०आर०टी०ओ० सम्बन्धित जनपद	सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी (मा०शि०) सम्बन्धित जनपद	सदस्य
7.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) सम्बन्धित जनपद	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित जनपद	सदस्य
9..	खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड	सदस्य
10.	खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड	सदस्य
11.	उप शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड	सदस्य

9– उक्तानुसार गठित समिति में नामित सदस्यों के अतिरिक्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य किसी भी विभाग के अधिकारी को समिति में शामिल/नामित कर सकते है। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत उत्कृष्ट विद्यालय स्थापना में चयनित उत्कृष्ट विद्यालय के सेवित ग्राम से इतर अन्य सेवित ग्राम से आने वाले छात्र–छात्राओं हेतु आवागमन के संबंध में उक्त तालिकानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की सहायता से आवागमन (Transportation) की व्यवस्था/प्रकिया निर्धारित की जाएगी।

10– Transportation में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

11– प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) को विकसित किये जाने हेतु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वविवेक के आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे।

12– प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) में शैक्षिक गुणवत्ता को अधिक बेहतर किये जाने के लिए शिक्षकों के तैनाती/चयन/प्रकिया का निर्धारण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

13– ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट हेतु धनराशि का भुगतान:–त्रैमासिक आधार पर अग्रिम धनराशि का भुगतान संबंधित छात्र को किया जाये तथा भुगतान किये गये तिमाही में अनुपस्थित रहने वाले दिवसों को घटाकर अगले तिमाही में समायोजन करते हुए धनराशि भुगतान किया जाये।

14– समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूर्व से संचालित एस्कॉर्ट सुविधा हेतु समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारित मानक छात्रों के ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट में भी लागू किये जाएंगे।

Scanned with OKEN Scanner

15— यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/293914/2025 दिनांक 30 अप्रैल 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 06-05-2025
15:12:18

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या / XXIV-A-2 /25–18 / 2023 (41758) तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त सदस्य, ट्रांसपोर्ट / एस्कॉर्ट हेतु गठित समिति को द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
BHUPENDRA SINGH BORA
Date: 06-05-2025
16:12:40

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

File No. BES2-8/115/57/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 41758)
Generated from eOffice by PINKI, RO-PINKI, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 07/05/2025 11:19 AM

Scanned with OKEN Scanner

SE3-2/2.1/17/2023-XXIV-B-3-Secondary Education Department

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 841 /XXIV-3/02(11)2023/50024

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय–उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून
30/6/23

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक: 28 जून, 2022,

विषयः– मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः छात्रवृत्ति/31706–07/मु0मं0प्रो0छा0/ 2022–23 दिनांक 13 फरवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिमण्डल के आदेश दिनांक 19.05.2023 के कम में राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को क्रमोत्तर विद्यालयों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश में छात्र ड्राप–आउट को रोकने के दृष्टिगत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्र–छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति निम्नवत् तालिकानुसार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

2.1(क) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर):– यह छात्रवृत्ति विकासखण्ड स्तर पर कक्षा 5 से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के मध्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर कुल प्रतिभागी छात्रों में से 10 प्रतिशत श्रेष्ठता वाले छात्र–छात्राओं को प्रदान की जायेगी, जिस हेतु छात्रवृत्ति की दर निम्नवत् होगी :–

- कक्षा 06 –रू 600 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)
- कक्षा 07 – रू 700 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)
- कक्षा 08 – रू 800 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)

2.1(ख) छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की शर्तें:--

- अभ्यर्थी द्वारा राज्य में संचालित राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) से कक्षा 5 संस्थागत रूप में उत्त्तीर्ण किया हो तथा वर्तमान में कक्षा 6 में संस्थागत छात्र--छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।
- कक्षा 06 एवं 07 में प्रत्येक कक्षा में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति का लाभ समुचित रूप से प्रदान किये जाने हेतु प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंको तथा कक्षा–06 से

07 तक प्रत्येक कक्षा में प्राप्त अंको में 5 प्रतिशत का अधिमान दिया जायेगा। (केवल उक्त छात्रवृत्ति योजना हेतु) उदाहरण स्वरूप 55 एवं 57 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको को कमशः 60 एवं 62 प्रतिशत माना जायेगा।

- किसी भी अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- उक्त छात्रवृत्ति हेतु अभ्यर्थी के माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा किया जायेगा।
- उपरोक्तानुसार प्रस्तावित छात्रवृत्ति को प्रारम्भ में प्रथम वर्ष में कक्षा 06 में अध्ययन करने वाले चयनित छात्रों को दी जायेगी, जिसे क्रमोत्तर वर्षों में निर्धारित पात्रता अनुसार निरन्तर रूप से कक्षा 08 तक दिया जायेगा।

2.1(ग) जूनियर स्तर पर लिखित चयन परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

उक्त छात्रवृत्ति हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक होगा, प्रतियोगिता परीक्षा के उत्तर पत्रक हेतु ओ0एम0आर0 शीट प्रदान की जायेगी, जिसका पाठयकम निम्नवत् होगा–

- प्रथम प्रश्नपत्र –मानसिक योग्यता परीक्षण (Mental Ability Test)– शाब्दिक एवं अशाब्दिक तर्क शक्ति, संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित 60 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
- द्वितीय प्रश्नपत्र –शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण (Scholastic Aptitude Test)– इसके अंतर्गत गणित ,विज्ञांन, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा आधारित, कुल 60 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।

2.2(क) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर):– यह छात्रवृत्ति विकासखण्ड में कक्षा 8 से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के मध्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर कुल प्रतिभागी छात्रों में से 10 प्रतिशत श्रेष्ठता वाले छात्र–छात्राओं को प्रदान की जायेगी, जिस हेतु छात्रवृत्ति की दर निम्नवत् होगी :–

- कक्षा 09 एवं 10 – रू 900 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)

2.2(ख) छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की शर्तें:–

- अभ्यर्थी द्वारा राज्य में संचालित राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) से कक्षा 8 संस्थागत रूप में उत्तीर्ण किया हो तथा वर्तमान में कक्षा 9 में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।
- कक्षा 09 में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति का लाभ समुचित रूप से प्रदान किये जाने हेतु प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंको तथा कक्षा–09 में प्राप्त अंको में 5 प्रतिशत का अधिमान दिया जायेगा। (केवल उक्त छात्रवृत्ति योजना हेतु) उदाहरण स्वरूप 65 एवं 67 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको को क्रमशः 70 एवं 72 प्रतिशत माना जायेगा।
- किसी भी अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- उक्त छात्रवृत्ति हेतु अभ्यर्थी के माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा किया जायेगा।
- उपरोक्तानुसार प्रस्तावित छात्रवृत्ति का प्रारम्भ प्रथम वर्ष में कक्षा 8 से कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले चयनित छात्रों को दी जायेगी, जिसे कक्षा 10 तक निर्धारित पात्रता अनुसार दिया जायेगा।

2.2(ग) माध्यमिक स्तर पर लिखित चयन परीक्षा निम्न प्रश्नपत्रों पर आधारित होगी :–

उक्त छात्रवृत्ति हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक होगा, प्रतियोगिता परीक्षा के उत्तर पत्रक हेतु ओ0एम0आर0 शीट प्रदान की जायेगी, जिसका पाठयक्रम निम्नवत् होगा–

- प्रथम प्रश्नपत्र –मानसिक योग्यता परीक्षण (Mental Ability Test)– शाब्दिक एवं अशाब्दिक तर्क शक्ति, संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
- द्वितीय प्रश्नपत्र –शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण (Scholastic Aptitude Test)– इसके अंतर्गत गणित– 20 प्रश्न, विज्ञान –40 प्रश्न (भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान) तथा सामाजिक विज्ञान– 40 प्रश्न (भूगोल, राज0शास्त्र, इतिहास एवं अर्थशास्त्र) विषयों पर आधारित कुल 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।

2.3(क) <u>मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 11 एवं 12)</u>:– यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को प्रदान की जायेगी, जिस हेतु छात्रवृत्ति की दर निम्नवत् होगी :–

- कक्षा 11 – रू 1200 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)
- कक्षा 12 – रू 1200 प्रतिमाह (अधिकतम 1 वर्ष)

2.3(ख) छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की शर्तें:–

- अभ्यर्थी द्वारा राज्य में संचालित राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय

व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में अध्ययनरत रहते हुये कक्षा–10 की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा 80 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो।

- कक्षा 11 में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति का लाभ समुचित रूप से प्रदान किये जाने हेतु कक्षा–10 की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंको में 5 प्रतिशत का अधिमान दिया जायेगा। (केवल उक्त छात्रवृत्ति योजना हेतु) उदाहरण स्वरूप 75 एवं 77 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको को कमशः 80 एवं 82 प्रतिशत माना जायेगा।

- किसी भी अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

- उक्त छात्रवृत्ति हेतु अभ्यर्थी के माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

- उपरोक्तानुसार प्रस्तावित छात्रवृत्ति का प्रारम्भ प्रथम वर्ष में कक्षा 10 से कक्षा 11 में प्रवेश करने वाले चयनित छात्रों को दी जायेगी, जिसे कक्षा 12 तक निर्धारित पात्रता अनुसार दिया जायेगा।

3– प्रस्तावित मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

4– उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित छात्रवृत्ति की दरों की प्रत्येक 05 वर्षों में समीक्षा हेतु निदेशालय से ससमय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– बी0ई0ओ0/प्रधानाचार्य प्रति माह यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रवृत्ति नियमित रूप से डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी/पात्र छात्र–छात्राओं को दी जा रही है।

6– यह आदेश वित्त अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्या–133241 दिनांक 27.06.2023 में प्रदत्त सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Raman Ravinath
Date: 28-06-2023 14:03:04

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः 841 /XXIV-3/02(11)2023/50024 तददिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

4— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7— वित्त विभाग (अनुभाग—3) / नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
8— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से
Signed by Anil Kumar Pandey
Date: 28-08-2023 14:11:04
(अनिल कुमार पाण्डे)
उपसचिव।

1/218332/2024

BES1-MISC/25.1/57/2023-XXIV-A-1-Basic Education Department

132
18-6-24

संख्या-218332/XXIV-A-1/2024-63538/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

DD-प्रारम्भिक
शिक्षा

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

JD
18/6/24

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 14 जून, 2024

विषयः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु परीक्षा प्रावधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–अकादमिक(04)/18452/परीक्षा/2023–24 दिनांक 01 मार्च, 2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों को छूट दिये जाने के सम्बन्ध में हैं।

2– अतएव उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" (आर0पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट–2016) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु निर्धारित प्राविधान के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नवत परीक्षा प्रावधान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1– विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) अपंगता के अनुसार परीक्षा में एक घंटा अतिरिक्त समय दिया जाय।	1– "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) में उल्लिखित दिव्यांगताओं यथा अन्धापन, कम–दृष्टि कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति, सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन), लोकोमोटर दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियॉ, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मल्टीपल स्कलेरोसिस, भाषण और भाषा दिव्यांगता थेलेसिमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहरापन सहित कई दिव्यांगता, एसिड अटैक, पीडित पार्किसंस रोग से पीडित बच्चों लिये छूटः–
(क) प्रारम्भिक स्तर पर कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं (CWSN) अपंगता के अनुसार श्रुत लेखन, उपलब्ध कराया जायेगा।	(क) प्रारम्भिक शिक्षा की परीक्षा में बैठने वाले ऐसे विद्यार्थी जो उपरोक्त वर्णित दिव्यांगताओं से पीडित हों, को प्रश्न पत्र के लिये 20 मिनट प्रति घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है एवं ऐसे समस्त छात्र श्रुत लेखक की सेवाएं ले सकते है।

Scanned with OKEN Scanne
Scanned with OKEN Scanner

	(ख) आवश्यकतानुसार श्रुत लेखक, को उस कक्षा से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए, जिसके लिए परीक्षा दे रहा है। (ग) कक्षा 3 एवं 4 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं (CWSN) की मौखिक परीक्षा (Oral) लेते हुये, परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 14-06-2024 23:31:24

(रविनाथ रामन)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanne
Scanned with OKEN Scanner

2192/2024

संख्या-232/92/XXIV-B-1 /24/31(02)/2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 देहरादून: दिनांक: 20 अगस्त, 2024

विषय: विद्यालयी शिक्षा विभाग में कक्षावार बस्ते का बोझ कम करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में की गयी अनुशंसा के क्रम में शासनादेश संख्या-181549/XXIV-B-1/24/31(02)/2020, दिनांक 11.01.2024 के माध्यम से प्रदेश के विद्यालयों में बस्ता रहित दिवसों के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2- भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 1-4/2018-IS-3, दिनांक 24 नवम्बर 2020 के माध्यम से प्रसारित स्कूल बैग पॉलिसी-2020 के प्रस्तर-4 में निर्धारित कक्षावार स्कूली बस्ते के भार के आधार पर निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक SCERT/NEP/विविध पत्रा0/8728-32/ 2023-24, दिनांक 04.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षावार स्कूली बस्ते के भार का निम्नवत निर्धारण किया जाता है:-

क्र0	कक्षा	अनुमानित शारीरिक वजन (किलो में)	बस्ते का अनुमानित वजन (किलो में)
1	पूर्व प्राथमिक कक्षा	10-16	No Bag
2	कक्षा-1	16-22	1.6-2.2
3	कक्षा-2	16-22	1.6-2.2
4	कक्षा-3	17-25	1.7-2.5
5	कक्षा-4	17-25	1.7-2.5
6	कक्षा-5	17-25	1.7-2.5
7	कक्षा-6	20-30	2-3
8	कक्षा-7	20-30	2-3
9	कक्षा-8	25-40	2.5-4
10	कक्षा-9	25-45	2.5-4.5

Scanned with OKEN Scanne
Scanned with OKEN Scanner

11	कक्षा 10	25-45	2.5-4.5
12	कक्षा 11	35-50	3.5-5
13	कक्षा 12	35-50	3.5-5

3. कृपया स्कूली बस्ते का भार मानकानुसार निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 09-08-2024 18:32:06

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या-232 192/-XXIV-B-1/24-31(01)/2020 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Prem Singh Rana
Date: 17-08-2024 17:53:58

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

D.D अका० / आ०...

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–2
संख्याः / XXIV-A-2/24–46/2000 T.C IV
देहरादून, दिनांक 08 मई, 2024

64
09-5-24

अधिसूचना

राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024 है।
(2) यह आगामी शैक्षिक सत्र 2024–25 से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2. "उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011" में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 2 के उपनियम (1) के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को (अर्थात् प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की प्रथम तिथि) या उससे पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।	"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो। वर्तमान में जिन बच्चों द्वारा प्री–स्कूल (नर्सरी, एल0के0जी0, यू0के0जी0) मे प्रवेश लिया जा चुका है उन्हें, कक्षा–1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षो की भांति प्रदान की जायेगी तथा उनके आगे की पढ़ाई की निरन्तरता में कोई भी व्यवधान नही होगा। आगामी वर्षो में प्री–स्कूल कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री–स्कूल कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि केवल 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे ही कक्षा–1 में प्रवेश हेतु अर्ह हो। उक्त के साथ ही दिव्यांग बच्चों हेतु विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार अपनायी जायेगी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उनकी प्रारम्भिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी हो सके।

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-05-2024 13:01:55

(रविनाथ रामन)
सचिव

श्री ...
DD
10/5/24

Generated From eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -ICT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 08/05-

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1136
06.8.26

D.D निदेशालय

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 376197 /XXIV-A-1/2026–99941
देहरादून : दिनांक 05 मार्च, 2026

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

शासनादेश संख्या 145(1)/XXIV-2/11/11(5)/2009, दिनांक 31.03.2011 एवं शासनादेश संख्या 496/XXIV-2/13/11(05)/2009, दिनांक 20.07.2013 में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रा0प्रा0वि0 भटेड़ी, वि0ख0 मूनाकोट, पिथौरागढ का नाम तत्काल प्रभाव से परिवर्तित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 हरी सिंह रा0प्रा0वि0 भटेड़ी, वि0ख0 मूनाकोट, पिथौरागढ किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 05-03-2026
11:58:33

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्या–376197 XXIV-A-1/2026–99941 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश के साथ प्रेषित।
6. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
7. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
8. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शि0, जनपद–पिथौरागढ।
9. प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0 भटेड़ी, वि0ख0. मूनाकोट, पिथौरागढ।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 05-03-2026
12:09:53

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

26942/2023

26942/2023

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 126942/XXVII(7)/ई0–19943/2022
देहरादूनः दिनांक 01 जून 2023

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश तथा राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों, जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं, को संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में सन्तान की 22 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु बाल्य देखभाल अवकाश के रूप में सम्पूर्ण सेवाकाल में 02 वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किये जाने संबंधी वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–11/XXVII(7)/34/2011 दिनांक 30 मई, 2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–207/XXVII(7) /34/2011 दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 को अधिकमित करते हुए राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरुष) सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।

ii. एकल अभिभावक में अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा पुरूष सरकारी सेवक तथा अविवाहित महिला सरकारी सेवक को भी सम्मिलित किया जायेगा।

iii. बाल्य देखभाल अवकाश के प्रयोजनार्थ 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग/निःशक्त बच्चों के मामले में आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

iv. बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भाँति स्वीकृत किया जायेगा तथा उपार्जित अवकाश की भाँति बाल्य देखभाल अवकाश खाता रखा जाएगा। बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

Generated from eOffice by DINESH RAM, RO-FINANCE-OR, RO FINANCE, Finance Department on 01/06/2023 04:10 PM

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

v. जनहित एवं कार्यालय के प्रशासकीय कार्यों के सुचारू सम्पादन को दृष्टिगत रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कार्मिक को बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में 05 दिनों से कम अवधि एवं 120 दिनों से अधिक अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

vi. एकल महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 6 बार तथा अन्य पात्र महिला/पुरूष सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 03 बार अनुमन्य होगा।

vii. बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा। बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर जाने तथा निर्दिष्ट प्रयोजनों के इतर अन्य कार्यों हेतु बाल्य देखभाल अवकाश लिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी नियम/आदेश लागू होंगे।

viii. बाल्य देखभाल अवकाश में रहते हुए कार्मिक को पहले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 100 प्रतिशत तथा अगले 365 दिनों में उन्हे अनुमन्य अवकाश वेतन का 80 प्रतिशत वेतन दिया जायेगा। जिन महिला सरकारी सेवकों द्वारा पूर्व से बाल्य देखभाल अवकाश लिया जा रहा है, के संबंध में यह प्रावधान अवकाश लेखे में बचे हुए अवकाशों पर ही नियमानुसार लागू होगा।

ix. परिवीक्षाकाल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं। सेवा नियमावली में निर्धारित परिवीक्षा काल अवधि में बाल्य देखभाल अवकाश तीन माह से अधिक अनुमन्य नहीं होगा।

x. उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पात्र महिला/पुरूष सरकारी शिक्षकों (UGC, CSIR, एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर पात्र महिला/पुरुष कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 01-06-2023 15:34:51

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

<u>संख्या: 12 69 42-/XXVII(7)/ ई0–19043/2022 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

Generated from eOffice by DINESH RAM, RO FINANCE-DR, RO-FINANCE, Finance Department on 01/06/2023 04:40 PM

Scanned by CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

संख्याः 1571 /XXIV-D-3/25/73960

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 01 दिसम्बर 2025

विषयः– गेम चेंजर योजनान्तर्गत राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराये जाने हेतु नोटबुक मुद्रण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांकः अका0/मा0पु0/958/नोटबुक/2025–26 दिनांक 02 मई, 2025 के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025–26 से गेम चेंजर योजनान्तर्गत राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को प्रत्येक शैक्षिक सत्र में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित), 2025 के प्राविधानानुसार मुद्रित कर, निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत विद्यार्थियों को कक्षावार संलग्नक–अ के अनुसार प्रति छात्र नोट बुक आवंटित की जायेगी।

2) नोटबुक के मुद्रण हेतु उ0अधि0नि0, 2025 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुये प्राकृतिक संरक्षण एवं मितव्यता के दृष्टिगत नोटबुक का मुद्रण Recycled Paper पर किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त चयनित फर्मो द्वारा निविदा की समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और गुणवत्ता में कमी परिलक्षित होने पर परीक्षण करने के लिए उपरान्त निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

4) छात्र–छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक ससमय उपलब्ध हो सकें, इस हेतु संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमों के अधीन पूरी प्रक्रिया समायान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु एक समय–सारणी तैयार करेंगे, जिससे कि शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ससमय छात्र–छात्राओं को नोटबुक विद्यालयों में उपलब्ध हो सकें। विलम्ब की दशा में संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

5) नोटबुक के मुद्रण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने संबंधी वित्त अनु–01, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 अथवा संबंधी लागू नियमों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा योजना के प्रारम्भ होने वाले वर्ष 2025–26 में संबंधित

Scanned with OKEN Scanne
Scanned with OKEN Scanner

मद में बजट प्राविधान न्यून होने के दृष्टिगत योजना के संचालन हेतु आकस्मिकता निधि अथवा पुनर्विनियोग के माध्यम से धनावंटन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

6) नोटबुक मुद्रण हेतु महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी। उक्त समिति निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तों का निर्धारण तथा तकनीकी एवं वित्तीय बिडों का निरीक्षण करने सहित मुद्रण/मुद्रणोत्तर से सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु पर निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत होगी।

7) नोटबुक में राष्ट्रीयगान, संविधान की प्रस्तावना एवं विद्यालय की शैक्षिक समय-सारणी का मुद्रण कराया जाय।

8) वर्तमान में न्यूनतम 25 प्रतिशत तथा भविष्य में सम्पूर्ण नोटबुक्स का मुद्रण राजकीय मुद्रणालय, रूड़की से कराया जाय।

9) प्रस्ताव में नोटबुक की दरें बाजार भाव से अत्यधिक होने के फलस्वरूप नोटबुक्स की लागत की तर्कसंगतता, गुणवत्ता एवं साईज हेतु तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय अधिकारियों की समिति गठित कर बाजार से सर्वेक्षण करते हुए reasonableness of rate सुनिश्चित की जाय।

10) प्रस्ताव के स्वीकृत होने, निविदा की कार्यवाही किये जाने, नोटबुक्स के मुद्रण में समय व्यतीत होने, नोटबुक्स के वितरण होने एवं वर्तमान शैक्षिक सत्र की लगभग एक चौथायी अवधि व्यतीत होने के दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा अपने स्तर पर इस वर्ष नोटबुक्स के वितरण की प्रासंगिकता पर विचार कर लिया जाय।

11) राजकीय मुद्रणालय, रूड़की में मुद्रित किये जाने वाली नोटबुक्स के अतिरिक्त नोटबुक्स की मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 एवं समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के ई-जनरेटेड संख्या-338701/2025 दिनाँक: 16.10.2025 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 01-12-2025
12:30:01

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या : 1571/XXIV-B-3/25/73960 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक /माध्यमिक/एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

Scanned with OKEN Scanne
Scanned with OKEN Scanner

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 01-12-2025
12:31:59

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

Scanned with OKEN Scanne
Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
सू0 प्रौ0,सुराज एवं वि0 प्रौ0 अनु0–03
संख्या:I/ /E-17505/2025/XXXIV(3)/-20(02)21
देहरादून, दिनांक: मई, 2025

विमुक्त (Denotify)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग की 16 अधिसूचित सेवाओं को अधिसूचना संख्या 837/XXX(6)/2021-20(02)21, दिनांक 30.12.2021 से विमुक्त (Denotify) किया जाता है। अधिसूचना संख्या 837/XXX(6)/2021-20(02)21, दिनांक 30.12.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

Digitally signed by
Nitika Khandelwal
Date: 23-05-2025
12:08(नितिका खंडेलवाल)
अपर सचिव।

संख्या: I/ /E-17505/2025/XXXIV(3)/-20(02)21 तद् दिनांकित।
प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. - सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. - सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. - वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरखण्ड शासन, देहरादून।
5. - मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. - महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. - सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. - समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. - निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. - राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
12. - मीडिया सेन्टर।
13. - गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Vijay Kumar
Date: 23-05-2025
14:41:28

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

2.	अंतिम अंक तालिका उपलब्ध कराना	सम्बन्धित प्राचार्य	विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	अंक–पत्र त्रुटि सुधार	सम्बन्धित प्राचार्य	विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	सम्बन्धित प्राचार्य	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

4. बेसिक/प्राथमिक शिक्षा विभाग:-

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	अंक–तालिका उपलब्ध कराना	प्रधानाध्यापक	परीक्षाफल घोषित होने/अंक तालिका तैयार होने के उपरान्त 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	अंक–पत्र त्रुटि सुधार	प्रधानाध्यापक	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	अंक–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	प्रधानाध्यापक	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

5. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग:-

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा इकाई में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को प्रसव उपरांत रू0 1400/- की प्रोत्साहन धनराशि एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रू0 1000/- की प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने का प्राविधान है।	चिकित्सा अधिकारी संबंधित चिकित्सा इकाई	Normal/ C Section प्रसव के बाद 15 दिन के भीतर (सशर्त लाभार्थियों द्वारा प्रोत्साहन धनराशि हेतु संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये गये हों।)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

Scanned with OKEN Scanner

12. वन विभागः-

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	Letter of Distance from Forest	उप वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 10 दिवस में	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

Digitally signed by
Nitika Khandelwal
Date: 23-05-2025
12:10:19 (नितिका खंडेलवाल)
अपर सचिव।

संख्याः 1/ /E-17505/2025/XXXIV(3)/-20(02)21 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. मीडिया सेन्टर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vijay Kumar
Date: 23-05-2025
14:42:22

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या :I/270239/XXVII(7)/2022-E-39427/2025

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/ सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 देहरादून : दिनांक 06 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2025

विषय:-समयमान वेतनमान/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति/अनुमन्यता के संबंध में निर्गत स्पष्टीकरण में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समयमान वेतनमान/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की अनुमन्यता/ स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रकिया के संबंध में वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-07 के शासनादेश संख्या-65/XXVII(7)/18-50(09)/2018 दिनांक 09 मार्च, 2019 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर निर्गत स्पष्टीकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर हुए सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 2019 की तालिका के बिन्दु संख्या-01 'नियमित सेवा के साथ ही साथ निरन्तर की गयी तदर्थ सेवाओं को वित्तीय स्तरोन्नयन की गणना में लिया जायेगा अथवा नहीं ?' के स्पष्टीकरण के अंतिम प्रस्तर में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

वर्तमान में उपबंधित व्यवस्था	प्रतिस्थापित/संशोधित व्यवस्था
...उक्त से स्पष्ट है कि समयमान वेतनमान/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के अंतर्गत लाभ की अनुमन्यता हेतु निर्धारित सेवा अवधि की गणना संबंधित कार्मिक के नियमित नियुक्ति की तिथि से ही की जाए। इसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, नियत वेतन कार्यप्रभारित , सीजनल, तदर्थ आधार पर की गई सेवाओं को गणना में नहीं लिया जाएगा। किसी स्थाई/अस्थाई सृजित पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात यदि किसी कार्मिक को स्थानापन्न, तदर्थ, प्रभारी व्यवस्था के रूप में उच्चतर पद अथवा समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी दशा में उक्त अवधि की सेवायें गणना में ली जायेंगी। अर्थात दो नियमित नियुक्तियों के मध्य में तदर्थ, प्रभारी अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें समयमान	...उक्त से स्पष्ट है कि समयमान वेतनमान ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के अंतर्गत लाभ की अनुमन्यता हेतु निर्धारित सेवा अवधि की गणना संबंधित कार्मिक के नियमित नियुक्ति की तिथि से ही की जाए। इसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, नियत वेतन, कार्यप्रभारित, सीजनल, तदर्थ आधार पर की गई सेवाओं को गणना में नहीं लिया जाएगा। किसी स्थाई/अस्थाई सृजित पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात यदि किसी कार्मिक को स्थानापन्न, तदर्थ, प्रभारी व्यवस्था के रूप में उच्चतर पद अथवा समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी दशा में उक्त अवधि की सेवायें मूल पद के सापेक्ष गणना में ली जायेंगी अर्थात दो नियमित नियुक्तियों के मध्य में तदर्थ, प्रभारी अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें समयमान वेतनमान/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० हेतु गणना में ली जायेंगी"। उक्त के अतिरिक्त उच्चतर पद पर तदर्थ

Scanned with OKEN Scanner

वेतनमान/ ए0सी0पी0/एम0ए0सी0 पी0 हेतु गणना में ली जायेंगी।	अथवा स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद के वेतनमान में कार्य करते हुए उसी पद पर पदोन्नति होने की स्थिति में एक ही वेतनमान/ग्रेड पे/वेतन लेवल में कार्यरत रहने के दृष्टिगत तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें उच्चतर पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान/ ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 हेतु गणना में भी ली जायेंगी।

भवदीय

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 23-01-2025 19:58:58
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

I/270239/2025
संख्या : /XXVII(7)/22–E-39427/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त, मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by
Ganga Prasad
Date: 23-01-2025 18:49:31
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

06-02-2025, 03:50 pm

Scanned with OKEN Scanner